राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक एफ. 11 (3) / मो. / M&E / आई. / 2016 / 144556-859 जयपुर, दिनांक 10.8.2018

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समस्त।

विषय :– **आंगनबाडी आवर्तक मद में से राशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ नं. CD-II-14/1/2018-CD-II दिनांक 24.04.2018 द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर स्वीकृत आवर्तक मद की दरों में संशोधन कर, मुख्य आंगनबाडी केन्द्र के लिए राशि रू 2000/– तथा मिनी आंगनबाडी केन्द्र के लिए 1000/– रू प्रति केन्द्र निर्धारित की गई है। उक्तानुसार संशोधित राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार व्यय किए जाने के नवीन नॉमर्स निर्धारित किए जाते हैः–

मुख्य आंगनबाडी केन्द्र के लिए	मिनी आंगनबाडी केन्द्र के लिए
(अ) आंगनबाडी केन्द्र हेतु स्टेशनरीः– रु 800/– प्रति वर्ष प्रति केन्द्र।	**(अ) मिनी आंगनबाडी केन्द्र हेतु स्टेशनरीः– रु 400/– प्रति वर्ष प्रति केन्द्र ।**
विभिन्न प्रकार के अभिलेख, रेफरल स्लिप, पौषाहार, स्वास्थ्य टीकाकरण कार्ड पंजिकाऐ, मासिक सूचना प्रपत्र, उपस्थित प्रपत्र, ईधन बिल, यात्रा भत्ता बिल, एवं सबला योजना से संबधित प्रपत्र के साथ–साथ RRS-MIS पर डेटा फीडिंग के लिये राशि रू 10 प्रति माह प्रति आंगनबाडी केन्द्र के आवश्यकतानुसार इत्यादि ।	विभिन्न प्रकार के अभिलेख, रेफरल स्लिप, पौषाहार, स्वास्थ्य टीकाकरण कार्ड पंजिकाऐ, मासिक सूचना प्रपत्र, उपस्थित प्रपत्र, ईधन बिल, यात्रा भत्ता बिल, एवं सबला योजना से संबधित प्रपत्र के साथ–साथ RRS-MIS पर डेटा फीडिंग के लिये राशि रू 10 प्रति माह प्रति आंगनबाडी केन्द्र के आवश्यकतानुसार इत्यादि ।
(ब) आंगनबाडी केन्द्र हेतु दैनिक सामग्रीः– रु 200/– प्रति वर्ष प्रति केन्द्र।	**(ब) मिनी आंगनबाडी केन्द्र हेतु दैनिक सामग्रीः– रु 100/– प्रति वर्ष प्रति केन्द्र।**
झाडू–4, मटके–4, नेलकटर–4, कंघे–4, दर्पण–2, प्लास्टिक मग, पानी खीचने की रस्सी, साबुन–6, तौलिये–2, साबुनदानी–1, डस्टर–4, दंतमंजन, तेल, आवश्यकतानुसार इत्यादि।	झाडू–4, मटके–4, नेलकटर–4, कंघे–4, दर्पण–2, प्लास्टिक मग, पानी खीचने की रस्सी, साबुन–6, तौलिये–2, साबुनदानी–1, डस्टर–4, दंतमंजन, तेल, आवश्यकतानुसार इत्यादि।